न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20/2018 (उदयपुर आर्डर)

विजयलाल पिता श्री भीमलाल ब्राहमण (भलावत) निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................. अपीलान्ट

बनाम

1. शोभालाल पिता श्री जयकिशन ब्राहमण (भलावत) निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि॰ 26.12.2017 प्रकरण संख्या 21/16

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) : 1. श्री सत्यप्रकाश व्यास/अभिमन्यु जाट अभि. अपीलान्ट

2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

---::---

निर्णय दिनांक

28-06-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेनार में आराजो नंबर 4321

रकबा 12 बिस्वा भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड विपक्षी के नाम अंकित है। उक्त भूमि पूर्व में बिलानाम होकर उप जिलाधीन वल्लभनगर के आवंटन ओदश दिनांक 14–12–1978 से जयकिशन पुत्र उदा ब्राहमण को आवंटित हुई थी, जबकि आवंटन से पहले उसका कोइ कब्जा नहीं था तथा इस भूमि से लगती हुई प्रार्थी तथा उसके सहखातेदार की आराजी नंबर 4322 है जिस पर आने–जाने व बैलगाड़ी आदि ले जाने का कदीमी रास्ता है। इस रास्ते की भूमि को गुपचुप राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जयकिशन ने आवंटन करवा ली है, जबकि उक्त 12 बिस्वा भूमि में से 2 बिस्वा भूमि तो जयकिशन के वारिस विपक्षी ने अपने खेत में मिला रखी है तथा 10 बिस्वा भूमि में खड़डा, पेड़, झाड़िया, ओड़ी का मलवा एवं रास्ता है। आवंटित भूमि मौके पर पड़त होकर उस पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होती है तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16–05–2016 को विपक्षी की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाकर उसे रास्ता बन्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। उक्त आवंटन आवंटन नियम 1970 के नियम 19 के विपरीत है, क्योंकि आराजी नंबर 4321 एक छोटी पट्टी है, जिसका आवंटन उसके पड़ोस से लगती हुई भूमि के किसो एक पड़ोसी को नहीं किया जा सकता, किन्तु इस पर आवंटन कमेटी ने कोई गौर नहीं किया है तथा आवंटन फोड एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है तथा कोरम में प्रमुख सदस्यों की अनुपस्थिति में किया गया है, जो एडवाईजरी कमेटी के बैठक विवरण से स्पष्ट है। आवंटन भूमिहीन कृषि नहीं है तथा उसके नाम 27 बीघा भूमि बरानी एवं पीवल अंकित है। आवंटन पश्चात उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं हुई, जो आवंटन नियमों के विपरीत है। उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को प्रथम बार जनवरी 2016 में तब हुई जब विपक्षी ने जबरन उक्त भूमि पर ट्रैक्टर हांक दिया व पेड़ उखाड़ दिये, जिस पर दिनांक 16–08–2016 को नकले प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दिनांक 14–12–1978 को हुए कागजी आवंटन को निरस्त किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पिता को विधिवत आवंटन किया गया है तथा उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में किया जाना मनगढ़न्त कथन है। पटवारी ने पर्चा मौका विपक्षी की अनुपस्थिति में तैयार किया है, जो पूर्णतया शून्य प्रभावी है। विपक्षी के पिता को विधिवत आवंटन होकर विपक्षी द्वारा उक्त भूमि से फसल प्राप्त की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26–12–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होना मानते हुए खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी पेशे से किसान होकर अफीम की फसल बो रखी है, जिसकी नीलगाय एवं लावारिस पशुओं से दिन–रात रखवाली करता है तथा प्रार्थी का रिश्तेदार बीमार हो जाने से प्रार्थी उसके ईलाज में व्यस्त रहा, जिससे अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर मनन किया तो यह पाया कि उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं फोटोग्राफ्स का अवलोकन नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 38 वर्ष बाद प्रस्तुत होना मानकर खारिज कर दिया है, जबकि अपीलान्ट को उक्त आवंटन की जानकारी जनवरी 2016 में हुई है तथा फोड एवं मिसरिप्रेजेन्टशन से प्राप्त आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। रेस्पोन्डेन्ट के पिता के नाम 27 बीघा भूमि दर्ज थी, जिससे वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 14–12–1978 को निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 14–05–2019 पेज 257 पेश की है, जिसके अनुसार भूमिहीन काश्तकार ही आवंटन का पात्र है। अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 117 पेश की है, जिसके अनुसार कपट एवं दुर्व्यपेशन से प्राप्त आवंटन कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट के पिता को विधिवत आवंटन किया गया तथा आवंटित भूमि पर उसका कब्जा होकर उसके द्वारा फसले प्राप्त की जा रही हैं। आवंटन फोस एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नंबर 4321 रकबा 12 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है, जो उसके पिता जयकिशन को दिनांक 14–12–1978 को आवंटित हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के आधार पर आवंटी का कब्जा होना माना है तथा 38 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन को निरस्त कराने के लिए प्रार्थी द्वारा कोई उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का

आवंटन निरस्ती का आवेदन खारिज कर दिया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26—12—2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28—06—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर